Notes By Akhilesh Kumar (GT Assist. Professor)
J K College Biraul Darbhanga
YouTube : A commerce Education

Notes BY: AKHILESH KUMAR(Guest Teacher)

DEPARTMENT OF COMMERCE

JANTA KOSHI COLLEGE BIRAUL, DARBHANGA

FOR-LNMU B. COM PART -2 Hons paper -III Business and Regulatory Framework

Unit-3 Negotiable instrument Act, 1881

Easy to Understand the concept

सामान्य एवं विशेष रेखांकन में अन्तर

(Difference Between General crossing and special crossing)

सामान्य रेखांकनविशेष रेखांकन

i. सामान्य रेखांकन में किसी बैंक का नाम नही लिखा जाता / विशेष रेखांकन में किसी निर्दिष्ट बैंक का नाम अनिवार्य रूप से लिखा जाता है /

ii. सामान्य रेखांकन में बैंक की राशि किसी भी बैंक के माध्यम से संग्रह की जा सकता है / विशेष रेखांकन में बैंक का भुगतान रेखांकित में उल्लिखित बैंक अथवा उसके संग्रहकर्ता एजेण्ड बैंक एक माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है /

iii. सामान्य रेखांकित चैक को विशेष रेखांकित चैक में परिवर्तित किया जा सकता है / विशेष रेखांकित चैक को संन्य रेखांकित चैक में परिवर्तित नही किया जा सकता /

रेखांकन के अन्य प्रारूप

1. ***प्रतिबन्धात्मक या आदाता (प्रापक) खाता रेखांकन (Restrictive or Account Payee Crossing) –***

- *इसे सिमित रेखांकन भी कहते है | विनिमय-साध्य विलेख अधिनियम में इसका कही भी कोई वर्णन नही है , परन्तु व्यापारिक समुदाय में प्रचलित प्रथा के अंतर्गत इस प्रकार के रेखांकन का काफी प्रयोग किया जाता है |*

- *इस प्रकार के रेखांकन में सामान्य या विशेष रेखांकन के साथ 'केवल आदाता के खाते में' (A/c Payee Only) शब्द अतिरिक्त रूप से लिख दिया जाता है | वास्तव में यह शब्द संग्रहकर्ता तथा भुगतानकर्ता बैंकर को यह निर्देश देते है की चैक की रकम केवल आदाता के खतरे में ही जमा की जाये, अन्य किसी व्यक्ति के खाते में नही | मूल प्रापक ने यदि ऐसे चैक का पृष्ठांकन कर दिया है तो संग्रहकर्ता बैंक के पृष्ठांकन पर ध्यान नही देना चाहिये और प्रापक के लिए ही चैक का संग्रह करना चाहिये |*

- *यदि संग्रहकर्ता बैंकर के आदेश का पालन न करता है, तो उसे क़ानूनी संरक्षण प्राप्त नही हो सकता / यदपि ऐसे रेखांकन बैंक को हस्तान्तरणशीलता (Transferability) में कोई रुकावट नही होती अर्थात् ऐसे रेखांकन चैक का आगे भी पृष्ठांकन किया जा सकता है, परन्तु ज व्यक्ति के पक्ष में ऐसे बैंक का पृष्ठांकन किया जायेगा उसे बैंक का भुगतान प्राप्त नही हो सकता / अत: ऐसे रेखांकित चैक पर किया गया पृष्ठांकन व्यावहारिक रूप से प्रभावी नही होता /*

- *अपरक्राम्य रेखांकन (Not Negotiable Crossing) –*
  - *जब बैंक पर दो समानान्तर तिरछी रेखाओं के बीच 'अपरक्राम्य' या 'अविनिमय-साध्य' (Not Negotiable) शब्द लिख दिया जाता है, तो उसे 'अपरक्राम्य रेखांकन' कहते है / रेखांकन में इन शब्दों को जोड़ देने से चैक की विनिमय-साध्यता समाप्त हो जाती है / परन्तु हस्तान्तरणशीलता प्रभावित नही होती /*

- *'अपरक्राम्य' या अविनिमय-साध्य शब्द का आशय यह है की ऐसे चैक को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का स्वामित्व वैसा हो होगा जैसा की हस्तान्तरणकर्ता का स्वामित्व है, भले ही उस व्यक्ति ने ऐसे*

चैक को प्रतिफल के बदले तथा सद्भावनापूर्वक ही क्यों न प्राप्त किया हो | स्पष्ट है की इस प्रकार के रेखांकित चैक का हस्तानरिती यथाविधि धारक होने पर भी हस्तान्तरणकर्ता से अच्छा अधिकार प्राप्त नही कर सकता एवं न ही किसी को अच्छा अधिकार दे सकता है |

- *ऐसे रेखांकन का उद्देश्य चैक के लेखक तथा उसके मूल-आदाता को उसके खो जाने अथवा चोरी हो जाने पर अथवा उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार की बेईमानी की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करना है | अत: ऐसा रेखांकित चैक, बेचान प्राप्त करने वाले व्यक्ति (पृष्टकिती) को एक प्रकार की चेतावनी होती है की वह प्रष्ठांकनकर्ता के अधिकार में सम्बन्ध में भली-भाँति जाँच पड़ताल कर ले | वस्तुतः ऐसे चैक केवल उन्हीं व्यक्तियों से प्राप्त करने चाहिये जिनसे प्रष्ठांकिती भली-भाँति परिचित है तथा वह इस बात से सन्तुष्ट है की चैक पर प्रष्ठांकनकर्ता स्वामित्व दोषमुक्त है |*

- *भुगतानकर्ता बैंकर के लिये ऐसे रेखांकन का कोई महत्व नही होता और यदि संग्रहकर्ता बैंक ने भी सद्भावनापूर्वक तथा बिना किसी लापरवाही के ऐसे रेखांकित चैक का भुगतान किसी प्रष्ठांकिती आदाता (Payee by Endorsement) ग्राहक के लिए प्राप्त किया है, तो वह भी अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है भले ही उक्त ग्राहक का चैक स्वामित्व रहा हो |*

- ***दोहरा रेखांकन (Double Crossing) –***
  - ***दोहरे रेखांकन का आशय किसी चैक पर दो बार 'विशेष रेखांकन' करने से है |***
  - ***दुसरे शब्दों में, जब चैक के मुख पृष्ठ पर दो समानान्तर तिरछी रेखाओं के बिच में, अथवा इनके बिना किन्हीं दो बैंकों के नाम लिख दिये जाते है तो उसे दोहरा रेखांकन कहते है |***
  - ***विनिमय-साध्य विलेख अधिनियम की धारा 127 के अनुसार ऐसा रेखांकन को अनुमति नही है और यदि ऐसा रेखांकन किया जाता है तो भुगतानकर्ता बैंकर ऐसे चैक का भुगतान करने से मना कर देगा | परन्तु इसका एक अपवाद भी है |***

- *धारा 125 के अनुसार विशेष रेखांकित चैक में निर्दिष्ट बैंक चैक का संग्रह करने के लिये अपने एजेण्ड के रूप में उक्त चैक को किसी दुसरे बैंक के नाम पुन: रेखांकित करने वाल बैंकों को यह स्पष्ट करना अनिवार्य है दुसरे बैंक के नाम किया गया रेखांकन एजेण्ड के रूप में भुगतान का संग्रह करने के लिये ही किया गया है|*

- *उडी रेखांकन में 'Agent for Collection' शब्द का उपयोग नही किया जाये तो भुगतानकर्ता बैंक ऐसे रेखांकित बैंक को वापिस लौटा देगा |*

- *एक बैंक, जिसके नाम में विशेष रेखांकन किया गया है, किसी दुसरे बैंक को 'संग्रह के लिये एजेण्ड' प्राय: तभी नियुक्त करता है ज या तो पहले बैंक की कोई भी शाखा उस स्थान पर नही होती है जिस स्थान पर की चैक देय होता है या वह अपनी किसी व्यावसायिक सुविधा, इत्यादि के कारण उस चैक का संग्रह दुसरे बैंक से कराना चाहता है |*

- *यदि किसी चैक को एक ही बैन की दो शाखाओं के पक्ष में रेखांकित किया जाता है तो यह दोहरा रेखांकन नही माना जायेगा ओर ऐसी दशा में एजेण्ड शब्द लिखने की भी आवश्यकता नही है क्योंकि दोनों शाखायें एक ही बैंक की है /*

Ques-चैक का रेखांकन कौन करता है?

(Who can Cross a Cheque?)

Ans-विनिमय-साध्य विलेख अधिनियम की धारा 125 के अनुसार एक चैक के रेखांकित का अधिकार निम्नलिखित को उपलब्ध है-

1. ***आहर्ता (Drawer) –***

   चैक का आहर्ता (लेखक) चैक लिखते समय ही चैक का साधारण या विशेष रेखांकन कर सकता है

2. ***धारक (Holder) –***

   (i) यदि चैक का रेखांकन नही हुआ है तब धारक उस पर साधारण या विशेष रेखांकन कर सकता है /

(ii) यदि बैंक साधारण रेखांकित है तब धारक उस पर विशेष रेखांकन कर सकता है |

(iii) यदि चैक पर साधारण या विशेष रेखांकन है तब धारक उसमें 'अपरक्राम्य' (Not Negotiable) शब्द जोड़ सकता है |

3. बैंकर (Banker) –

यदि चैक पर विशेष रेखांकन है तब वह बैंक जिसके पक्ष में चाय रेखांकित है, उस पर पुन: दुसरे बैंकर का नाम अपने एजेन्ट के रूप में संग्रह कराने के लिये लिख कर दोबारा विशेष रेखांकन कर सकता है |